संख्या-238/2015/3947/नौ-5-2015-130बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गोरखपुर।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः: दिनांक 15 जुलाई 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2925/चार-सा0नि0वि0/2015-16 दिनांक 16.04.2015, पत्र संख्या-2950/चार-सा0नि0वि0/2015-16 दिनांक 29.04.2015, 2949/चार-सा0नि0वि0/2015-16 दिनांक 29.04.2015 एवं 3097/चार-सा0नि0वि0/2014-15 दिनांक 15.05.2015,के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगर निगम, गोरखपुर को द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष कुल **रू. 1459.84** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि **रू. 729.91 लाख (रू. सात करोड़ उनतीस लाख इकयानवे हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	**नगर निगम, गोरखपुर**	1. इलाहीबाग चौराहे से सूरज कुण्ड रेलवे क्रासिंग तक सड़क सुधार कार्य	106.45	
		2. आत्माराम वैद्य से हरिश तिराहा होते हुए बासफोढ तिराहा तक सड़क सुधार कार्य	109.26	
		3. दुर्गावाड़ी से सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग तक सड़क सुधार कार्य	122.48	
		4. नेशनल हाईवे से आजाद चौक नहर रोड तक सड़क सुधर कार्य	101.66	
		5. बहरामपुर चौराहा से पिपरापुर तक सड़क सुधार कार्य	39.44	
		योग	**479.29**	**239.64**
		नगर निगम गोरखपुर सीमान्तर्गत जेल बाईपास पर भगवानपुर ग्राम भाग के सुदृढ़ीकरण का कार्य	231.42	

क्र. सं.	जनपद/ निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
		योग	231.42	115.71
		गोरखपुर महानगर में असुरन चौक से पादरी बाजार पुलिस चौकी तक सड़क चौड़ीकरण् का कार्य	263.68	
		योग	263.68	131.84
		1. वार्ड नं. 2 मुहल्ला कमला नगर में डा0 हिदायुतल्लाह के घर के पास सड़क/नाली निर्माण	31.66	
		2. वार्ड नं. 2 मोगलहा में मुख्य सड़क से मेडिकलकालेज की बाउन्ड्री सड़क/नाली निर्माण	53.37	
		3.वार्ड नं. 2 में बजरंग धाम कालोनी में सड़क/नाली निर्माण.	87.60	
		4. वार्ड नं. 2 मोहल्ला राज सेमरा में एल.डी.विद्या मन्दिर से डीहबाबा स्थान तक सड़क/नाइंटरलाकिंग सड़क निर्माण	35.37	
		योग	208.00	104.00
		1.वार्ड सं0 49 में असुरन चौकी से परशुराम ट्रेडर्स तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	46.31	
		2. वार्ड सं0 49 में कशौधन इलेक्ट्रानिक्स से टी.एम.वाईक शोरूम तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	44.46	
		3. वार्ड सं0 31 ध्रुव वैश्य से राज आटो सर्विस तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	47.67	
		4.वार्ड सं0 31 में बालाजी मोबाइल से सीवर पम्प हाउस तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य	44.46	
		5.वार्ड सं0 31 में शाहपुर चौराहा बन्टी पान की दुकान से शर्मा प्रोविजन होते हुए शुक्ला सदन तक पिच रोड मरम्मत कार्य	43.29	
		6. वार्ड सं0 38 में शिव मेडिकल स्टोर से मीरा सिंह के मकान होते हुए विष्णु मन्दिर तक पिच रोड मरम्मत कार्य	17.01	
		7. वार्ड सं0 31 में शाहपुर लारी ब्यूटी टेलर्स से काली मन्दिर होते हुए पानी की टंकी तक पिच रोड मरम्मत कार्य	16.70	
		8. वार्ड सं0 31 में शाहपुर अभय जनरल स्टोर से पार्क होते हुए ज्वाय टेन्ट हाउस तक पिच रोड मरम्मत कार्य	17.55	
		योग	277.45	138.72
		महायोग (1*2*3*4*5)	1459.84	729.91

(रू. सात करोड़ उनतीस लाख इक्यानवे हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, गोरखपुर के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-238/2015/3947(1)/नौ-5-2015-130बजट/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-15/07/2015

प्रेषण संख्या:- 238-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-238-2015-3947-9-5-2015-130B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	72991000 72991000	72991000 72991000
	योग	वर्तमान प्रगामी	72991000 72991000	72991000 72991000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सात करोड़ उन्तीस लाख इकानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ उन्तीस लाख इकानवे हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी